शोध मंथन, Impact Factor 5.463 (SJIF), UGC No. 40908 ISSN: (P): 0976-5255, (e) : 2454-339X,
Vol. 9, Issue 3, pp (131-139), Month: Sep. 2018

कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के विचारों एवं अधिकारों का विश्लेषण

डॉ0 सीमा देवी
असि0 प्रो0, राजनीति विज्ञान विभाग
डायरेक्टर : डॉ0 भीमराव अम्बेडकर अध्ययन केन्द्र
कु0 मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0), भारत
Email : seemabudh1@gmail.com

सरांश

डॉ0 अम्बेडकर विधिवेत्ता के साथ–साथ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री भी थे। उनके शोध का विषय भी अर्थशास्त्र से सम्बन्धी 'रूपये की समस्या' था। प्रस्तुत शोध पत्र में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण, आर्थिक विकास एवं जनसंख्या नियन्त्रण के लिए योजना एवं धर्म से सम्बन्धी विचारों का विश्लेषण किया गया है भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकारों से किस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था सुदृढ हो सकती है। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्त सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ जैसे–गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, असमानता विदेशी मुद्राओं मुकाबले भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन आदि का समाधान डा0 अम्बेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जा सकता है। तात्पर्य है कि वे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक न्याय संगत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे।

मुख्य शब्द *– कल्याणकारी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था , समाजवाद, कामगार वर्ग*

प्रस्तावना

अर्थशास्त्र में नोबल पुरूस्कार प्राप्त प्रो0 अर्मत्य सेन के अनुसार ''डॉ0 भीमराव अम्बेड़कर उनके अर्थशास्त्री पिता हैं।''

उपरोक्त कथन डॉ0 अम्बेड़कर के भारतीय अर्थव्यवस्था पर उनकी दूरदर्शिता का परिचायक हैं। डॉ0 अम्बेडकर का नाम सुनते ही सर्वप्रथम हमारी ऑखों के समक्ष उनकी छवी समाज सुधारक एवं संविधान निर्माता के रूप में सामने आती हैं। यह भी सत्य हैं कि अपने जीवनपर्यन्त कमजोर वर्ग के सुधार के लिए संघर्ष करते रहे हैं भारतीय समाज के लिए उनका योगदान अतुलनीय हैं।

एक वंचित वर्ग से होने के कारण उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा परन्तु उनकी बहुमुखी योग्यताओं के कारण कई चरणों में सम्मान मिला **पहले चरण** में सविंधान सभा

के सदस्य के रूप में सम्मानित हुए। **दूसरे चरण** पर वह स्वतंत्र भारत के प्रथमं विधि मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री पं0 जवहार लाल नेहरू द्वारा सम्मानित किए गए **तीसरे चरण** में वह चेयरमैन के रूप में सम्मानित हुए। अंत में उन्हें सन् 1990 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया।

कल्याणकारी अर्थव्यवस्था को भारतीय समाज के अधिकतम लाभ के लिए सर्वप्रथम डॉ0 अम्बेडकर ने ही इंगित किया था। कल्याणकारी अर्थव्यवस्था आर्थिक सिद्धान्त की वह महत्त्वपूर्ण शाखा है, जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने हेतु आर्थिक सिद्धन्तों तथा नीतियों के निर्धारण में सहायक होता है व कुछ ऐसी कसौटियां का प्रतिपादन करता है, जिनके आधार पर सरकारी नीतियों के औचित्य का परीक्षण किया सके। इसका उदेश्य सामाजिक लाभ को अधिकतम करना है। डॉ0 अम्बेड़कर सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को एक सिक्के के दो पहलू मानते थे। इसलिए उनका विचार था कि सामाजिक सुधार किए बिना आर्थिक सुधार एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में संभव नहीं।

कल्याणकारी अर्थव्यवस्था में अधिकारों के सुनिश्चितकरण में राज्य समाजवाद के विचार का विकास डॉ0 अम्बेडकर द्वारा किया गया। उनके अनुसार राज्य को नष्ट करना नही है बल्कि यह समाज में व्याप्त बुराईयों जैसे– पूंजीवाद विभेद और असमानता को दूर करना है। राज्य समाजवाद का अर्थ है **'कल्याणकारी राज्य का विचार'। उनके अनुसार कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को उनके समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए ताकि सभी लोगों को राजनीतिक और आर्थिक स्वतन्त्रता एवं समता प्राप्त हो सके। क्योंकि "हम भारतीय है पहले और अंत में"** इसलिए भारतीय समाज स्वतन्त्रता, समता और भाई–चारे के सिद्धातों पर आधारित होना चाहिए।

अपनी प्रसिद्ध पुस्तक **"बुद्ध और मार्क्स"** में व्यक्ति की निजी सम्पत्ति को राज्य द्वारा नियंत्रित करने का पक्ष लिया है वे **"मिश्रित अर्थव्यवस्था"** में विष्वास करते थे।राज्य समाजवाद की स्थापना खूनी क्रान्ति के बजाय सांवैधानिक विधियों द्वारा करना चाहते थे। राज्य समाजवाद एक ऐसे समाज के विषय में विचार करता है जा वर्गरहित जातिवाद रहित, व्यक्तिगत कल्याण और नैतिकता पर आधारित हो।

उनके राज्य समाजवाद का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की सुरक्षा करना है। समाजवाद का आशय शक्ति का केन्द्रीकरण है। एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है। **व्यक्तिगत स्वतंन्त्रता कल्याणकारी समाज की पहली शर्त है।** अपनी इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने एक बार कहा भी था कि–**"जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नही हासिल कर लेते कानून आपको जो भी स्वतन्त्रता देता है वो आपके किसी काम की नही।"**

भारत में भी सभी नागरिकों की युक्ति का सम्बन्ध समाजवाद की अवधारणा के माध यम से जाना जाता रहा है। समाजवाद की परिभाषा का अर्थ था, **उत्पादन के साधनों का**

सामूहिक नेतृत्व तथा मजदूरो के नाम पर कार्यरत राजनीतिक दल द्वारा राजशक्ति में हिस्सेदारी। यह अवधारणा भारत में साम्यवादी दल की कमजोर स्थिति तथा अपरिपक्वता का सूचक भी थी। उन्होंने अपने एक लेख ''राज्य और अल्पसंख्यक'' में इस बात पर जोर दिया कि भारत में हर निवासी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। कोई भी विशेषाधिकार जो किसी भी कोटि, जन्म, व्यक्तिगत परिवार, वंश या धर्म के कारण पैदा होता है उसे नष्ट कर देना चाहिए।

राज्य की महत्त्वपूर्ण भूमिका द्वारा ही सच्चे अर्थो में एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था विकसित हो सकती है। **उनका समाजवाद राज्य की ऐसी विधि और ढ़ाँचे पर आधारित है जहाँ पर लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में परिवर्तन करने के लिए रक्तपात न किया जाए।**

डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा की समस्या, महंगाई, तथा विनिमय दर, भारत की राष्ट्रीय लाभांश, ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास, प्राचीन भारतीय वाणिज्य, ईस्ट इंण्डिया कम्पनी का प्रषासन एवं वित्त भूहीन मजदूरो तथा भारतीय कृषि की समस्या जैसे महत्त्वपूर्ण विषयों पर शोध किया साथ ही इन मुद्दों से सम्बन्धित समस्याओं के तार्किक एवं व्यवहारिक समाधान भी दिये।

डॉ0 अम्बेडकर की आर्थिक समस्याओं के प्रति सोच व्यवहारिक थी। वे मानते थे कि **भारत के पिछड़ेपन का मुख्य कारण भूमि व्यवस्था में बदलाव में देरी था। इसका समाधान लोकतांत्रिक समश्ठिवाद है** जिससे आर्थिक कार्यक्षमता एवं उत्पादकता में वृद्धि होगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायापलट संभाव होगा।

जब 1991 में भारत विदेशी मुद्रा भण्डार की समस्या से जूझ रहा था, उस समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए थे, वे डॉ0 अम्बेडकर के सुझवों से मेल खाते थे। रूपये के संकट के वर्तमान दौर में डॉ0 अम्बेडकर का स्मरण स्वाभाविक है। **उनके आर्थिक चिंतन के केन्द्र में हमेशा एक औसत आदमी रहा है।** अस्थिर रूपये की समस्या के खिलाफ अपना तर्क देते हुए कहते है कि रूपया कमजोर होने से देश के गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते है। आर्थिक और सामाजिक विषमता एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।**'रूपये की समस्या',** के अलावा उन्होंने **'राज्यों की वित्तीय समस्या'** केन्द्र व राज्य सम्बन्धों पर भी एक पुस्तक लिखी थी केन्द्र– राज्य को लेकर उनका विचार था कि राज्यों को अधिकतम वित्तीय अधिकार मिलने चाहिए। **राज्यों की अधिक निर्भरता केन्द्र पर न हो।** उनके विचारों को संविधान सभा ने ज्यादा तवज्जों नही दी क्योंकि हमारे देश का संविधान केन्द्र को बहुत वित्तीय ताकत देता है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के सदस्य होने के नाते मजदूर वर्ग के जीवन को सुधारने का निरन्तर प्रयास किया।

डॉ0 अम्बेडकरको हम अधिंकाशतः उनके द्वारा किए गये जाति व्यवस्था के विरूद्ध लड़ाई के बारे में जानते है परन्तु उनका भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव कम महत्त्वपूर्ण नही है–

- **कृषि और भूमि सुधारः**—डॉ0 अम्बेडकर ने भारतीय कृषि के विषय में सूक्ष्म अध्ययन किया। कृषि पर अपने विचार पुस्तक "Small Holding in Indian and their remedies" and "State and Minorities"में लिखे है। इस पुस्तक में यह स्पष्ट किया कि भूमि का वितरण असमान होना भारतीय कृषि की मुख्य समस्या है जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को अनेक कठिनाईंयों का सामना करना पड़ता है जैसे– संसाधनों का अल्प उपयोग होना, कम उत्पादकता, लागत अधिक होना, कम आय और निम्न– जीवन स्तर। भूमि का असमान वितरण होना ही भारतीय कृषि की मुख्य समस्या नही थी अपितु विभिन्न साधनों जैसे– पूँजी श्रम आदि सम्बन्धी समस्याएँ भी विद्यमान थी। इसलिए यदि खेती करने के लिए भूमि और पूंजी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न हो तो भूमि का बड़ा भाग अनुत्पादित रह सकता है। इस विचार के साथ भारत में स्वतंत्रता के पश्चात "Land Ceilir Act" पारित हुआ। उन्होंने जाति–व्यवस्था द्वारा किए गए श्रम के शोषण और दासता का भी वर्णन किया जो कि देश के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ी बाधा है। वे इस व्यवस्था को नष्ट करने के लिए निरन्तर संघर्ष करते रहे।

उन्होंने कृषि संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए अनेक सुझाव दिए। जैसे सामूहिक कर्षश करना, भूमि का समान वितरण, बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण तथा राज्य द्वारा जल, बीज तथा उर्वरक की व्यवस्था करनी चाहिए तभी हमारा देश आर्थिक विकास आत्म– निर्भरता के साथ कर सकता है।

- **भारतीय मुद्रा संबंधी समस्या :**—डॉ0 अम्बेडकर के विचारों ने भारतीय मुद्रा व्यवस्था को बहुत प्रभावित किया, अपनी मुद्रा संबंधी विचार "The Problem of the Rupees" and "The evolution of provisional finance in Indian" नामक लेखों में स्पष्ट किए। उन्होंने ब्रिटिश भारत के दौरान अपने लेखों और खोजों का केन्द्र विनिमय स्थिरता की **अपेक्षा कीमत स्थिरता को बनाए।**
- **करारोपण नीति संबंधी विचारः**—भूमि पर किसी भी प्रकार के कर का विरोध किया क्योंकि ये कर समाज के गरीब वर्ग पर भार होते हैं उन्होंने कहा कि—
  1. कर लोगों के कर देय क्षमता के अनुसार लगाने चाहिए अर्थात् गरीबों पर कम और अमीरों पर अधिक कर लगाने चाहिए।
  2. ये भी स्पष्ट किया कि उस समय भारतीय कर व्यवस्था भेदभाव और असमानता पर आधारित थी।
- **उद्योगों का राष्ट्रीयकरणः**—औद्योगिकीकरण किए बगैर भारत का तेज आर्थिक विकास करना असंभव है। क्योंकि बड़े पैमाने पर उद्योग रोजगार दिलाऐंगे जो उपभोग के लिए आवष्यक वस्तुएँ भी उत्पादित करेंगे। इससे कच्चे पदार्थो का उचित उपयोग संभव हो सकेगा, विदेशों पर निर्भरता कम होगी, श्रम की सुरक्षा बढ़ेगी और जिसका परिणाम देष का आर्थिक विकास होगा।उनके अनुसार निजी क्षेत्रों के बजाय सरकार को आगे आकर बड़े

पैमाने पर उद्योग लगाने चाहिए। बीमा परिवहन कम्पनियों का भी राष्ट्रीयकण किया जाना चाहिए।

- **आर्थिक विकास एवं जनसंख्या नियन्त्रण के लिए योजनाः–** भारत का आर्थिक विकास सिर्फ और सिर्फ देश में विद्यामन असमानता और शोषण जैसी बुराईयों को दूर करके ही किया जा सकता है। वह आर्थिक विकास के लिए किसी भी तरह की निरंकुशता के विरोधी थे। यह उनकी दूरदर्शिता को ही दर्शाता है। आज जो जनसंख्या हमारे लिए एक दावानल बन चुकी है। उसके नियन्त्रण का सुझाव स्वतन्त्रता पूर्व ही दे चुके थे क्योंकि देश का आर्थिक विकास बिना जनसंख्या नियंत्रण किए संभव नहीं

अम्बेड़कर के कल्याणकारी व्यवस्था में अधिकारों के सुनिश्चितकरण के लिए मत एवं विचार निम्न है–

1 कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के विकास के लिए राज्य समाजवाद आवश्यक हैं क्योंकि यह समता पर आधारित है।

2 डॉ0 अम्बडेकर ने 7 अगस्त सन् 1942 को भारत सरकार के श्रम मंत्री की हैसियत से मजदूर– वर्ग के जीवन को सुधारने के लिए संयुक्त श्रम अधिवेशन में जो योगदान दिया वो निम्नलिखित है जिससे मजदूरों के अधिकारों की आधारशिला का निर्माण हुआ–

- आज भारत में एक दिन में कार्य घण्टे आठ हो गए हैं दिल्ली के सप्तम सत्र् में 27 नवम्बर 1942 को एक दिन के कार्य घण्टे जो 14 घण्टे थे को घटा कर 8 घण्टे करा दिया और इस तरह मजदूरों के जीवन में प्रकाशस्तम्भ बन गए।
- निश्चित किया कि व्यक्ति के कुछ अहरणीय अधिकार होते हैं जिनकी सुनिश्चितता संविधान द्वारा की जायेगी।

3 भारत में महिला श्रमिकों के लिए भी अनेक कानून बनाए जैसे–Mines Maternity Benefit Act, Women Labour Welfare Fund, Women And Child Labour Protection Act आदि

4 भारत में जाति व्यवस्था देश के आर्थिक विकास में बाधा है। जाति व्यवस्था के कारण ही लोग व्यवसायी कौशल को दूसरे जाति के लोगों को सिखाते नही है। केवल उनकी अपनी ही जाति के लोगों को इसको सीखने का अवसर मिलता है। इसलिए यदि एक व्यक्ति जो किसी व्यवसाय के लिए आवश्यक कुशलता रखता है तब भी उसे निचले तबके का होने के कारण स्वीकार्य नहीं। ऐसे में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था जो कि समता पर आधारित है खतरे में पड़ जायेगी। डॉ0 अम्बेडकर से सहमत विद्धान जैसे– नेस्फील्ड कहते हैं कि जातिवाद के लिए व्यवसाय जिम्मेदार नही है। बल्कि यह जाति व्यवस्था ही है जो व्यवसाय वर्गीकरण का आधार है।

5 जाति व्यवस्था के परिणाम निम्न हो सकते है जो देश की अर्थव्यवस्था पर दुश्प्रभाव डालते है–

- यह श्रमिकों को बाँट देता है, जिससे कुशल श्रमिकों से हाथ धोना पड़ सकता है।
- यह रूचि से असंबंधित कार्य करवाती है।
- यह बुद्धिमत्ता को स्वतः मजदूर से दूर करती है।
- यह लोगों को उनके कार्यशैली में सुधार करने में बाधा देती है।
- यह गतिशीलता को रोकती है।

➢ इस सबका परिणाम कल्याणकारी अर्थव्यवस्था पर घातक सिद्ध होता है क्योंकि श्रम विभाजन से देश को कुशल श्रमिकों से होने वाला लाभ नहीं मिल पाता और वह देश पिछड़ जाता है न ही सभी श्रमिक उनसे मिलने वाले लाभों का फायदा उठा पाते है। स्वयं का उद्धार हर एक को स्वयं ही करना चाहिए। यह महामन्त्र डॉ0 अम्बेडकर ने अपने समाज को दिया। उनका मूल कारण यह है कि कामगारों का नेतृत्व कुछ ऐसे नेताओं के हाथ में है जो सिर्फ आराम से कुर्सी पर बैठने वाले दार्शनिक हैं। उनको विश्वास था कि कामगार वर्ग के संगठन के द्वारा क्रान्ति की जा सकती है व कामगारों की सत्ता कायम की जा सकती है। इससे वे अपने अधिकारों से भी परिचित हो जायेंगे। क्रान्ति सफल होने के लिये सिर्फ असंतोश पर्याप्त नही है बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनैतिक अधिकारों पर गंभीर चिन्तन भी आवश्यक है। जब तक कामगारों का एक संगठन नही होगा तब तक प्रत्येक श्रमिक अपने अधिकारो से लाभान्वित नही हो सकते है। साथ ही कामगार संगठन को राजनीति में आना ही चाहिए क्योंकि शासन पर सत्ता कायम किए बगैर कामगारों के हितों का संरक्षण असंभव है।

➢ डॉ0 अम्बेडकर ने श्रम संघ क्रान्ति को समर्थन दिया और पूंजीवाद के खिलाफ विद्रोह किया। ***वह औद्योगिक प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी चाहते थे।*** इसलिए उन्होंने संयुक्त परिषद रोजगार कार्यालय की स्थापना पर जोर दिया। औद्योगिक क्रान्ति तभी हो सकती है जब वह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। इसके लिए उनके तीन उद्देश्य बताये जो निम्न है–

1. श्रम संबंधी विधानों में एकरूपकता को बढ़ावा।
2. औद्योगिक विवादों के निपटारे की प्रक्रिया निर्धारित करना।
3. कर्मचारियों और नियोजको के बीच अखिल भारतीय महत्व के मामलों पर विचार –विमर्श करना।

डॉ0 अम्बेडकर श्रमिक वर्ग की समस्या का अध्ययन कर रहे थे तो उनके दिमाग में सिर्फ औद्योगिक श्रमिक ही नही थे बल्कि कषेश श्रमिक भी थे।**श्रमिक क्षतिपूर्ती स्वास्थ्य,सेवाएं तथा स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधायें सभी मजदूरों चाहें वो औद्योगिक मजदूर हो या कष्शक मजदूर सभी के लिये समान होने चाहिये।**

➢ मजदूर वर्ग के दो **दुश्मन ब्राहमणवाद और पूंजीवाद** को बताया। आज ब्राहमणवाद इतने दूर तक फैल चुका है कि आर्थिक उत्थानके क्षेत्र पर भी उसका

आधिपत्य स्थापित हो चुका है। अतः 'एक व्यक्ति एक मूल्य' जोकि उनके समाजवाद का सिद्धान्त था कि समर्थित थे।

➢ **राज्य और अल्पसंख्यकों का आर्थिक भाग** राज्य समाजवाद लानें का आहवान कर रहा था। उनकी मांग थी कि न केवल मूलभूत उद्योगों का बल्कि भूमि का भी राष्ट्रीयकरण होना चाहिये क्योंकि कृषि और उद्योग क्षेत्र एक दूसरे के पूरक है। इसलिये राज्य की यह जिम्मेदारी है कि कृषि के साथ–साथ उद्योग के लिये भी आवश्यक पूँजी जुटाएं और इनका विकास देश के सामाजिक –आर्थिक विकास में बेहतर परिणाम दे सकते है।

किसानों को राज्य का जोतदार समझा जाए विकास की आवश्यकताओं का आंकलन, मजदूरों की सुरक्षा के अधिकार दोनों को ध्यान में रखते हुए डॉ0 अम्बेडकर ने लिखा–**''भारत के द्रुतगामी औद्योगिकीकरण के लिये राज्य समाजवाद आवश्यक है।''**

➢ स्पष्टतः अन्य समाजवादियों तथा राष्ट्रवादियों की तरह**समाजवाद की परिभाषा अनुशासित औद्योगिकी अर्थव्यवस्था के रूप में कर रहे थे।**

➢ डॉ0 अम्बेडकर ने राज्य समाजवाद के मुख्य प्रस्ताव निम्नलिखित बताये–

- मूल उद्योगों का राज्य स्वामित्व तथा राज्य द्वारा प्रबन्ध, उनका राज्य समाजवाद कषषि, भूमि और सामूहिक कषषि के राष्ट्रीयकरण की माँग करता है। सामूहिक खेती द्वारा उत्पादन हिस्सों में विभाजित कर काश्तकारों में बाँटा जाएगा।
- जमीन ग्रामवासियों को बिना किसीजाति या पंथ के भेदभाव के दी जाएगी। यह इस प्रकार बंटेगी कि न कोई जमींदार होगा न कोई काश्तकार और न कोई भूमिहीन मजदूर।
- राज्य का दायित्व होगा कि वह सामूहिक खेती को वित्तीय सहायता दे। खेती के लिये पानी का प्रबन्ध करे तथा पशु,खाद,बीज तथा औजार दें।
- राज्य फिर लगान लेगा, मुआवजा देगा और पूँजीगत निवेश के लिये धन देगा।
- डॉ0 अम्बेडकर ने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले बीमा क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत करने की बात कहीं। इसके दो उद्देश्य थे– एक निजी बीमा के मुकाबले राष्ट्रीयकृत बीमा अधिक सुरक्षा देता है,क्योंकि इसके अंतर्गत राज्य के संसाधन बीमा राशि के अंतिम भुगतान की गारंटी के रूप में गिरवी रहते है। दूसरे इसके साथ ही राज्य को भी अपनी योजना के वित्तीय व्यवस्था के लिये जरूरी संसाधन मिल जाते हैं।
- वे उद्योग में सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के उद्यम को स्वीकारते हैं परन्तु ये दोनों प्रकार के उद्यम राज्य द्वारा नियंत्रित होने चाहिये।
- राज्य को लोगों के आर्थिक जीवन को इस प्रकार नियोजित करना चाहिये कि उससे उत्पादकता का सर्वोच्च बिन्दु हासिल हो जाये और निजी क्षेत्र के लिये भी रास्ते बन्द न हो जिससे सम्पत्ति के समान वितरण की व्यवस्था की जा सके।

- इससे यहस्पष्ट होता है कि डॉ0 अम्बेडकर एक नियोजित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार और विकास चाहते थे, साथ ही साथ निजी क्षेत्रों के लिये भी कुछ सीमा तक अवसर चाहते थे ताकि वे एक दूसरे के पूरक बन सके।

7 अगस्त 1942 को भारत सरकार के श्रम सदस्य की हैसियत से मजदूर वर्ग के जीवन को सुधारने के लिये संयुक्त श्रम अधिवेशन में अनेक याजनाएं भी बनाने की घोषणा की जो निम्न है–

बी0पी0 अगरकर के निर्देशन में श्रमिक कल्याण के अनेक मुद्दों पर चर्चा करने के लिये एकसलाह समिति और मजदूर कल्याण कोष की भी स्थापना की जिसका लाभ सभी श्रमिकों को समान मिल सके।

1. उस समय देश की अर्थव्यवस्था में कोयला उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। इस कारण 31 जनवरी 1944 में श्रमिकों के अधिकारों के Coal Mines Safety Amendment बिल बनाया और 8 अप्रैल 1946 को एक Mica mines श्रम कल्याण कोष बनाया जिससे श्रामिकों को घर,पानी के प्रबंध व शिक्षा आदि में सहायता दी।

2. डॉ0 अम्बेडकर रोजगार कार्यालय के मुख्य यंत्र थे। दूसरे विश्व युद्ध के बाद एक श्रम सदस्य होनें के नातें उन्होंने रोजगार कार्यालय बनाया ताकि त्रिपक्षीय श्रम विवाद मजदूर संध, मजदूर तथा प्रतिनिधि सरकार के बीच समझौता कराया जा सके साथ ही साथ यह सहकारी क्षेत्र में कौशल योग्यता विकास की और एक कदम था। उनके कठोर प्रयास से ही राष्ट्रीय रोजगार एजेंसी का निर्माण हो गया।

3. ई0 एस0 आई श्रमिकों को स्वास्थ्य सुविधाऐं,स्वास्थ्य छुट्टी, कार्य के दौरान शारीरिक अयोग्यताएं आदि के लिये अनेक सुविधाऐं प्रदान करने वाला एक क्षतिपूर्ति बीमा है। डॉ0 अम्बेडकर ने कठोर प्रयास किये और श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने इसे बनाया। ई0एस0आई का अर्थ है– राज्य कर्मचारी बीमा। सच बताएं तो, पूर्वी एशियाई देशों में भारत में पहली बार बीमा आयोग आया और इसका श्रेय केवल डॉ0 अम्बेडकर को जाता है।

4. उस समय नीति के सूत्रीकरण, सिंचाई और बिजली शक्ति के विकास का मुद्दा काफी गंभीर समस्या थी। 'केन्द्रीय तकनीकी बिजली विकास की स्थापना का निर्णय लिया।

डॉ0 अम्बेडकर का विश्वास था कि सामाजिक और आर्थिक विषमतायें एक सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए आर्थिक विषमताओं को दूर करने के लिये सर्वप्रथम सामाजिक सुधार किये। डॉ0 अम्बेडकर के अनुसार **वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक वयवस्था, राजनीतिक ढाँचा और नैतिक शर्तें समाजवाद को स्पष्ट करने में बाधा है। इसलिए समाज के प्रत्येक क्षेत्र के हर पहलू में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।** राज्य नियंत्रित समाज को स्थापित करने के लिये हमें नैतिकता, न्याय, शान्ति, उदारता, स्वतन्त्रता, समानता और बन्धुत्व को आधार बनाना होगा। इसके लिये जरूरी है कि हमें आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक प्रत्येक क्षेत्र में समता का अधिकार मिलना चाहिये।

वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी सामाजिक एवं आर्थिक समस्याऐं

जैसे–गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, असमानता, विदेशी मुद्राओं के मुकाबले भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन आदि का समाधान डॉ0 अम्बेडकर के आर्थिक शोधों में देखा जा सकता है। वे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक न्यायसंगत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते थे।

यदि भारत में मजदूरों में अधिकारों को किसी व्यक्ति ने सुरक्षित किया तो वो क्रान्तिकारी डॉ0 अम्बेडकर थे। वह भारत के महान दार्शनिक और समाजसुधारकों में से एक है। चल–अचल सम्पत्ति के बजाय उनके पास ज्ञान का समृद्ध भण्डार था। वे राष्ट्रनिर्माण में विश्वास करते थे। अतः वर्तमान में डॉ0 अम्बेडकर को अगर राष्ट्र निर्माता कहा जाये तो यह अतिश्योक्ति नहीं होगी।

संदर्भ

1. *सामाजिक न्याय सन्देश*, वर्ष –11, अंक –4, अप्रैल 2013, पृष्ठ सं0 –**52**
2. *सामाजिक न्याय सन्देश*, वर्ष 11, अंक–12, दिसम्बर 2013, पृष्ठ सं0–**15**
3. उपरोक्त, पृष्ठ सं0–**16–17**
4. *बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाडमय*, खण्ड– 2 पृष्ठ सं0–**195**
5. *बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाडमय*, खण्ड– 4 पृष्ठ सं0–**193**
6. पूर्वोक्त, खण्ड–2 पृष्ठ सं0–**176**
7. *बाबा साहेब डॉ0 अम्बेडकर सम्पूर्ण वाडमय*, खण्ड– 9 पृष्ठ सं0–**5**
8. अम्बीराजन एस0, *'अम्बेडकर' एस कॉन्ट्रिब्यूशन टू इण्डियन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली,'* वॉल्यूम–34, नं0 46/47 (नवम्बर–20–26–1999), पृष्ठ सं0– **3280–3285**
9. *'द प्रैक्टिस ऑफ इकोनॉमिक्स वॉय डॉ0 अम्बेडकर एण्ड इट्स रेलेवांस इन कंटेम्परी इण्डिया*, जर्नल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एण्ड सोशल साइंस रिसर्च आई0एस0 एस0एन0 नं0 : 2319–5614, वाल्यूम–3, न0 : 10 अक्टूबर, 2014
10. मलकानी एस, *'इकांनामिक आइडियाज ऑफ डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर एण्ड इट्स रेलेबांस फॉर इण्डियन इकोनाफमी*,' जर्नल ऑफ सोशल साइन्स, आई0एस0एस0 एन– 2279–0268, कंटीन्यूउस इशू–24, अक्टूबर– दिसम्बर, 2016
11. केंदाले, वी0एम0, *'सम इकोनॉमिक थाट्स ऑफ अम्बेडकर*, 'नवजोत, वाल्यूम–I, इशू–II, 2012
12. *'डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर : कॉन्टिब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग,* 'नेशनल सेमिनार, 13–14 अप्रैल, 2016
13. शर्मा, एल, *'स्टेट सोशलिज्मः मेस्मेरिजिंग कॉन्ट्रिब्यूशन टुवर्ईस इकोनामिक्स'* इन्टर– नेशनल रिसर्च जनरल ऑफ मार्केटिंग एण्ड इकोनामिक्स, बाल्यूम–2, इशू–3 मार्च, 2015